

fnukad&31-01-2020

Fkkuk l gl ij ykqkj

ft yk dchj /k

vi jk/k Øekad %& 198@19 /kkjk 363 Hkknfo

- vigr ckyd Mkušk døkj jk.kk ds vi gj .kdrkZ 03 vkjki h i fyi dsfxj r eš
- fQjks h dsfy, fd; k Fkkj vi gj .k
- vi gj .k ds pn ?k/ks ckn gh dj fn; s Fks gR; k]

&&&00&&

दिनांक-26.12.2019 को थाना सहसपुर लोहारा क्षेत्र के ग्राम बिरोड़ा का कुशल राम राणा पिता धन सिंग राणा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका छोटा लड़का डोनिश कुमार राणा उर्फ हिमांशु राणा उम्र-09 साल, सायं करीबन 05:30 बजे बैडमिंटन व चिड़िया लेकर घर के नजदीक खेलने निकला था जो रात तक घर नहीं आया तब मैं बस्ती में जाकर उनके दोस्त व परिवार में मोबाईल के द्वारा पूछताछ कर पता किया जिससे कोई पता नहीं चला। उक्त अपहरण की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सहसपुर लोहारा के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना प्रभारी सहसपुर लोहारा को ग्राम बिरोड़ा जाकर पतासाजी करने हेतु निर्देशित किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये तत्काल घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग एवं श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव को अवगत कराने पश्चात मार्ग दर्शन प्राप्त कर स्वतः घटना स्थल पहुँचकर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर थाना प्रभारी सहसपुर लोहारा को गंभीरता से अपहृत बालक की पतासाजी करने निर्देशित किया गया तथा घटना की गंभीरता को देखते हुये पृथक से थाना एवं तकनीकी टीम गठित कर पतासाजी में लगाया गया। पतासाजी के दौरान अपहृत बालक की पता तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा ईशतहार एवं उद्घोषणा जारी कर पता बताने वाले को 10,000/- रुपये का इनाम दिये जाने का घोषणा किया गया है।

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग एवं श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव के मार्ग निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम लगातार अपहृत बालक का पता तलाश में घटना के सभी संभावनाओं पर निरंतर कार्य किया गया, इस दौरान रेंज स्तर से दुर्ग एवं राजनांदगांव टीम तथा स्थानीय तकनीकी टीम के द्वारा भी हर संभव प्रयास किया गया। पतासाजी के दौरान आपसी रंजिश की भी संभावनाओं को देखते हुये कार्य किया गया तथा क्षेत्र के आपराधिक एवं संदिग्ध व्यक्तियों से भी लगातार पूछताछ की गई। अप्रिय घटना के अंदेशा पर गांव के आसपास के क्षेत्रों में सघन सर्चिंग कराई गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार प्राप्त मार्ग निर्देशन एवं उत्साहवर्धन से पुलिस टीम अपहृत बालक को निरंतर पता तलाश कर तीर ही, इसी दौरान संदिग्ध यशवंत पाली को निगरानी में लेकर जाँच पड़ताल किया गया, जो पुलिस की पूछताछ में अपनी गुनाह कबूल करते हुये बताया कि इनके दो साथी हंमतपाली एवं कोमल पाली तीनों मिलकर आज से करीब 02 माहपूर्व से गांव में मिले और योजना बनाये कि गांव के कुशल राणा काफी पैसे वाला है उसके छोटे लड़के हिमांशु का अपहरण करेंगे और तीस लाख रुपये की फिरौती वसूल करेंगे, तभी से ये लोग हिमांशुराणा की निगरानी कर रहे थे। दिनांक-26.12.

2019 के शाम करीब 05:30 बजे हिमांशु राणा अपने घर के बाहर गांव के अन्य छोटे बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। जिसे आरोपी हेमन्त पाली बहला फुसला कर गांव के स्कूल अंदर ले गया जहां पर इनके अन्य साथी पहले से मौजूद थे। आरोपी गण अपहृत बालक के मुँह में सेलोटैप लगाने लगे उसी दौरान बालक हिमांशु राणा चिल्लाकर आवाज करने लगा तो पकड़े जाने के डर से आरोपी गणों ने गमछा से बालक का गला दबाकर एवं पत्थर से सिर में वार कर हत्या कर दिये। आरोपी गण अपहृत बालक हिमांशु राणा की हत्या करने के पश्चात् शव को ठिकाना लगाने के लिए जुट के बोरा में भरकर अपने घर से कंबल व मोटर सायकल लाकर मोटर सायकल में तीनों सवार होकर तथा अपहृत मृत बालक को लेकर अंधरूनी रास्तो से होकर ग्राम टाटावाही के बाहर ग्राम धनौरा रोड़ किनारे घुरूवा के गड्डा में दबा दिये थे। शव को ठिकाना लगाने के बाद तीनों मोटर सायकल से अपने घर आ गये। रात्रि में प्रार्थी कुशलराणा के द्वारा अपने बालक की गुम होने की सूचना गांव वालों को दी तो गांव वाले आसपास पता तलाश किये उस दौरान उक्त आरोपी गण भी गांव वालों के साथ पता तलाश में लगे रहे।

पुलिस टीम द्वारा आरोपी गणों से पृथक-पृथक पुछताछ किया जाकर आरोपियों के मेमोरेण्डम कथन अनुसार ग्राम टाटावाही बस्ती के बाहर रोड़ किनारे के घुरूवा गड्डा के पास से अपहृत मृत बालक हिमांशु राणा के घटना दिनांक को पहने हुए कपड़े, जुट का बोरा, कंबल तथा पास के जंगल से कुछ हड्डियां बरामद की गयी है। जांच कार्यवाही में एफएसएल टीम युनिट से सहयोग प्राप्त किया गया।

प्रकरण की विवेचना में डॉ. लालउमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा, श्री अनिल कुमार सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, श्री बी.आर. मण्डावी उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय/अजाक) के मार्ग निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा लगातार अपहृत बालक हिमांशु राणा की पता तलाश करते हुए सफलता प्राप्त की गई है। प्रकरण के निराकरण में पुलिस टीम थाना प्रभारी स. लोहारा निरीक्षक मुकेश यादव, थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल उप निरीक्षक आनंद शुक्ला, सहायक उप निरीक्षक संजय मेरावी, चंद्रकांत तिवारी, गिरिजाशंकर यादव, उदलमरकाम, कोदूराम नागवंशी, प्रधान आरक्षक बालकदास टंडन, खुबराम साहू, महेशवर्मा, चन्द्रभूषण सिन्हा एवं आरक्षक रेखलाल सोनकर, देवनारायण चंद्रवंशी, राजेश्वर कोसरिया, रविशंकर जायसवाल, आकाश राजपूत, मनीषकुमार, कीर्ति वर्मा एवं अन्य टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव क्षेत्र द्वारा कबीरधाम पुलिस टीम की सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए बधाई दी है।

गिरफ्तार आरोपी :-

01. यशवंत पाली पिता स्व. रमेश पाली, उम्र-21 साल, साकिन बिरोड़ा, थाना स. लोहारा
02. कोमल उर्फ छोटू पाली पिता दिलीप पाली, उम्र-19 साल, साकिन बिरोड़ा, थाना स. लोहारा
03. हेमंत पाली पिता गणेश पाली, उम्र-19 साल, साकिन बिरोड़ा, थाना स. दूलोहारा

